उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या- 42/2016/1407/30-3-16-18बी/2015
लखनऊ, दिनॉक 06 जून, 2016

<u>संशोधन/शुद्धि-पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 1524580 हजार (रू0 एक अरब बावन करोड़ पैंतालीस लाख अस्सी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-31/918/30-3-16-18बी/2015, दिनॉक 07-04-2016 द्वारा जारी की गयी है, जिसमें टंकण त्रुटिवश "उक्त शासनादेश के प्रथम पृष्ठ के प्रस्तर-1 की सातवीं पंक्ति में उल्लिखित लेखाशीर्षक-3055 की धनराशि रू0 1509570 की जगह 1523880, द्वितीय पृष्ठ के लेखाशीर्षक-3055 की तालिका के 03-मंहगाई भत्ता में स्वीकृत प्राविधान में रू0 571200 की जगह 504000, तृतीय पृष्ठ के लेखाशीर्षक-3055 की तालिका के 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय में स्वीकृत प्राविधान/जारी धनराशि में रू0 250000 की जगह 25000, उसी तालिका के योग-3055-03 के स्वीकृत प्राविधान/जारी धनराशि में रू0 1509570 की जगह 1343653 तथा तालिका के अन्तिम पंक्ति में अंकित योग : 3055 में स्वीकृत प्राविधान/जारी धनराशि में रू0 1510270 की जगह 1344553 अंकित हो गया है।

2- अत: उक्त शासनादेश में उल्लिखित "प्रथम पृष्ठ के प्रस्तर-1 की सातवीं पंक्ति में उल्लिखित लेखाशीर्षक-3055 की धनराशि रू0 1523880 की जगह 1509570, द्वितीय पृष्ठ के लेखाशीर्षक-3055 की तालिका के 03-मंहगाई भत्ता में स्वीकृत प्राविधान में रू0 504000 की जगह धनराशि रू0 571200, तृतीय पृष्ठ के लेखाशीर्षक-3055 की तालिका के 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय में स्वीकृत प्राविधान/जारी धनराशि में रू0 25000 की जगह धनराशि रू0 250000, उसी तालिका के योग-3055-03 के स्वीकृत प्राविधान/जारी धनराशि में रू0 1343653 की जगह धनराशि रू0 1509570 तथा तालिका के अन्तिम पंक्ति में अंकित योग : 3055 में स्वीकृत प्राविधान/जारी धनराशि में रू0 1344553 की जगह धनराशि रू0 1510270 पढ़ा जाये। तदनुसार शासनादेश संख्या-31/918/30-3-16-18बी/2015, दिनॉक 07-04-2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 42/2016/1407(1)/30-3-2016, तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
5- वित्त, (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्किीय निदेशालय, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in